भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 294
(जिसका उत्तर मंगलवार, 23 मार्च, 2021/2 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"बढ़ते ईंधन उत्पाद शुल्क का प्रभाव"

294. श्री नीरज डांगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बढ़ते ईंधन उत्पाद शुल्कों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) करों के आय असमानता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो आबादी के विभिन्न आय समूहों पर ईंधन उत्पाद शुल्कों का क्या-क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) क्या सरकार ने इस बात का कोई आकलन कराया है कि बढ़ते ईंधन उत्पाद शुल्क वस्तुओं की कीमतों और मुद्रास्फीति को किस प्रकार से बढ़ा सकते हें और यदि हां, तो मुद्रास्फीति पर वर्तमान ईंधन उत्पाद शुल्क के प्रभाव के व्यापक आकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया हैः-

'बढ़ते ईंधन-उत्पाद-शुल्क का प्रभाव' के बारे में दिनांक 23 मार्च, 2021 के उत्तरार्थ श्री नीरज डांगी द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 294 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:-

(क) तथा (ख): जी नहीं, हाल में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग): जी हाँ, सीपीआई मुद्रास्फीति जो कि अक्टूबर, 2020 में 7.6 प्रतिशत थी वह घटकर जनवरी, 2021 में 4.1 प्रतिशत हो गयी है। हालाकि यह फरवरी, 2021 में बढ़कर 5.0 प्रतिशत हो गयी है। ईंधन और लाइट मुद्रास्फीति जो कि नवम्बर, 2020 में 1.6 प्रतिशत थी वह बढ़कर जनवरी, 2021 में 3.9 प्रतिशत हो गयी है। हालांकि, यह घटकर फरवरी, 2021 में 3.5 प्रतिशत हो गयी थी। सीपीआई-सी और ईंधन और लाइट मुद्रास्फीति के बारे में अप्रैल, 2020 तक का ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1: अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 तक सीपीआई और ईंधन और लाइट के आधार पर मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

	अप्रैल-20 @	मई-20 @	जून-20	जुलाई-20	अगस्त-20	सितम्बर-20	अक्टूबर-20	नवम्बर-20	दिसम्बर-20	जनवरी-21	फरवरी-21 (पी)
सीपीआई-सी	7.2	6.3	6.2	6.7	6.7	7.3	7.6	6.9	4.6	4.1	5.0
ईंधन और लाइट	2.9	1.6	0.5	2.7	3.2	2.8	2.1	1.6	2.9	3.9	3.5

@ अप्रैल और मई, 2020 के लिए अध्यारोपित मुद्रास्फीति, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण सीमित टिप्पणियों पर आधारित है। (पी) अनंतिम

स्रोत: एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

*****